बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग–१ कार्यवाही–प्रश्नोत्तर ।)

बुधवार, तिथि १९ मार्च, १९७५ ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	१
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या : ५६, ५७ ..	२–९
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : ११८३, १३९९, १४०१, १९१८, १९१९, १९२०, १९२१, १९२४, १९२५, १९२८, १९३१, १९३२, १९३४, १९४०, १९४१, १९४२, १९४५, १९४८, १९५३, १९५९, १९६३, १९६५, १९६८, १९६९, १९७०, १९७१, १९७४, १९७५, १९७७, १९७९, १९८०, १९८१, १९८२, १९८४, १९८५, १९८७, १९८९, १९९०, १९९१, १९९६, १९९७, १९९८, १९९९ । ..	९–१८८
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) : ..	१८९–२२७
दैनिक निबन्ध : ..	२२९–२३१

टिप्पणी— किन्हीं भी मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपने भाषण को संशोधित नहीं किया है ।

श्री नरसिंह बैठा— (१) भोजपुर जिला पर्षद का सरकार के जिम्मे सेस के मद में कितनी राशि बाकी है इसका लेखा-जोखा राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) बकाये राशि का हिसाब हो जाने के बाद इससे सम्बन्धित कार्रवाई सम्भव होगी।

मुखिया पर कार्रवाई

१९९४। **श्री सूरजदेव सिंह**— क्या मंत्री, पंचायत विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि गया जिला के मानपुर प्रखंड के गेरे ग्राम पंचायत के मुखिया श्री गोपाल सिंह ने सन् १९६४ से १९७२ तक का राजस्व वसूली कर लिये हैं तथा उसके कमीशन के रुपया को वे पंचायत निधि में जमा न कर घर रख लिये हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, गया ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, मानपुर को अपने पत्रांक २२९ मु० दिनांक ८-७-७४ के द्वारा यह आदेश दिया था कि उक्त मुखिया पर उचित कार्रवाई की जाय;

(३) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी ने सन् १९७४ में निदेशक, ग्राम पंचायत की दफा १४ (२) के अन्तर्गत हटाने के लिये भी अनुशंसा की थी किन्तु अभी तक श्री सिंह मुखिया के पद पर बने हुए हैं;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त मुखिया को दफा १४ (२) पंचायती राज अधिनियम, १९७४ के अन्तर्गत हटाने का विचार रखती है; यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरसिंह बैठा— (१) गेरे ग्राम पंचायत के मुखिया ने १९७१-७२ तक राजस्व वसूली के कमीशन के रूप में प्राप्त राशि को पंचायत के पास-बुक में जमा नहीं किया और बजट की स्वीकृति के बिना नजायज ढंग से खर्च दिखाया।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) जिला पदाधिकारी, गया ने पत्रांक ५४१, दिनांक १९-१२-७३ के द्वारा अपनी अनुशंसा निदेशक, पंचायती राज को भेजी कि उक्त मुखिया को बिहार पंचायत राज अधिनियम १९४७ की धारा १३(२) के अन्तर्गत हटाने की कार्रवाई की जाय। यह बात सही है कि अभी तक श्री गोपाल सिंह मुखिया पद पर बने हुए हैं, लेकिन उन्हें इस पद से हटाने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(४) उक्त अधिनियम की धारा १३(२) के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी उप-निदेशक, पंचायती राज, पटना प्रमंडल, पटना से अनुशंसा मांगी गयी। उनका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। उक्त धारा के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत मुखिया से स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसकी प्राप्ति के बाद सरकार उचित कार्रवाई करेगी।

सड़क का पक्कीकरण

२०००। **श्री आजम**— क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि अररिया (पूर्णियां) मुख्यालय से लेकर चन्दरदेई तक सड़क नं० ६ का पक्कीकरण किया गया है;

(२) क्या यह बात सही हैं कि उक्त सड़क अररिया से दक्षिण कमलदाहा, गरिया पैक्तोला गेड़ा सफीपुर तक जाती है, परन्तु चन्दरदेई से सिर्फ ४ मी० सफीपुर तक कच्ची है;

(३) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के पक्कीकरण करने से अररिया मुख्यालय का सीमा सम्बन्ध अररिया-प्रखंड दक्षिण क्षेत्र से हो जाता हैं;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त ४ मी० कच्ची सड़क का पक्कीकरण कब तक करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री— (१) उत्तर स्वीकारात्मक है। अररिया कोर्ट स्टेशन से चन्दरदेई तक सड़क का पक्कीकरण कोसी कमांड क्षेत्र के अन्तर्गत किया गया है।